14 शिवदान सिंह पिता लाल सिंह रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी — बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

15 गोविन्द सिंह पिता लाल सिंह रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी — बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

16 श्रीमती अनारी देवी पत्नी लाल सिंह रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी — बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

17 अनारी कंवर पुत्री लाल सिंह रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी — बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

18 पार्वती कंवर पुत्री लाल सिंह रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी — बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

19 बदी लाल पिता अर्जुन सिंह रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी — बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

20 कृष्ण गोपाल पिता भगवत सिंह दरोगा रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी — बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

21 राममोपाल पिता भगवत सिंह दरोगा रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी — बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

22 भानूप्रताप पिता भगवत सिंह दरोगा रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी — बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

23 भूपेन्द्र पिता भगवत सिह दरोगा रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी — बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

24 श्रीमती प्रेम कंवर बेवा भगवतसिंह दरोगा रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी — बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

25 राजस्थान राज्य जरिये उपपंजीयक करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

26 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेडा —— प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :—

श्री मुकेश सिंह चारण —अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—प्रतिवादीसंख्या 26

एकपक्षीय ——प्रतिवादी संख्या 01 से 24

:: निर्णय :: दिनांक—08.09.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत ा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीगण एंव दी 06 से लगायत 24 एक ही मूल पुरूष मोडा उर्फ मोडसिंह रावणा राजपूत के परिवार से वारिसान है मोडा उर्फ मोडसिंह के तीन लडके राधाकिशन , सरिया उर्फ सरा उर्फ स्वरूप उरजन उर्फ अर्जुनसिंह हुये जिसमे से सरिया उर्फ सरा के वारिसान वादी संख्या 01 व 02 है ाकिशन के एकमात्र गोदपुत्र रघुनाथ सिंह वारिसान था रघुनाथ सिंह का निधन हो जाने से ारिसन वादी संख्या 03 एंव प्रतिवादी संख्या 20 से 23 के पिता एंव प्रतिवादी संख्या 24 के

उपखण्ड अधिकारी प
सहायक कलक्टर क

ो भगवत सिंह है . इसी तरह उरजन उर्फ अर्जुन सिंह का पुत्र प्रतिवादी संख्या 19 एंव लाल सिंह
ंशी सिंह एव रघुनाथ सिंह हुये जिसमे से रघुनाथ सिंह राधाकिशन के यहा गोद चला गया लाल
ह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 से 18 है व बंशी सिंह के पुत्र काबू सिंह जिसका निधन हो
या के वारिसान 06 से 09 है । खातेदार गुलीबाई का निधन हो गया है ,जिसके वारिश वादी
ख्या 01 से 02 है। ग्राम बेमाली तहसील करेड़ा के बैरून हल्के में साबिक आराजी संख्या
29/1 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा व आराजी संख्या 1022 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा कुल 13
घा 01 बिस्वा अवस्थित हो सम्वत 2000 में वादीगण के मौरूस सरा उर्फ सरिया, राधाकिशन,
रजन उर्फ अर्जुन पिता मोडा दरोगा के नाम पर खातेदारी हक से अभिलिखित चली आ रही थी
स पर वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 6 से लगायत 24 के मौरूस अपने-अपने हिस्से अनुसार उक्त
र्णित आराजियात पर बहैसियत खातेदार कृषक काबिज हो काश्तकर उपयोग-उपभोग करते चले
ा रहे थे व है अर्थात उक्त वर्णित आराजियात में वादी संख्या 1 व 2 के पिता सरा उर्फ सरिया का
/3, वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 20 से 23 के पिता व प्रतिवादी संख्या 24 के पति
गवतसिह के दादा राधाकिशन का 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 6 से लगायत 24 का 1/3 हक व
स्सा निहित हो इसी हक व हिस्से से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 24 एवं उनके मौरूस
ाबिज हो उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है। राजस्व रेकार्ड में सम्वत 2009 से 2012 तक उक्त
ाबिक आराजी संख्या 1029/1 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 24 के मौरूस सरिया,
धाकिशन, उरजन के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही थी किन्तु सम्वत 2013 से 2016
राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने गफलत एवं लापरवाही पूर्वक तरीके से साबिक आराजी
ख्या 1029/1 के स्थान पर वादीगण के मौरूस सरा, राधाकिशन, उरजन के नाम पर 1029/2
जस्व रेकार्ड में कांट-छांट कर अभिलिखित कर दी। जबकि रकबा पूर्ववत की भांति 1029/2 का
बीघा 06 बिस्वा ही दर्ज किया। यहां यह अंकित करना भी सुसंगत होगा कि वादीगण एवं
तिवादी संख्या 6 से 24 के मौरूस के नाम पर साबिक आराजी संख्या 1029/1 के अलावा उससे
टमा 1022 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा और उनके खातेदारी की अभिलिखित चली आ रही थी इस
कार वादीगण एवंप्रतिवादी संख्या 6 से 24 के मौरूस कुलिया 13 बीघा 01 बिस्वा आराजियात के
तेदार काश्तकार अभिलिखित चले आ रहे थे व है। साबिक आराजी संख्या 1029/2 का रकबा
बीघा 08 बित्त्वा होकर उक्त आराजियात सम्वत 2000 में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मौरूस
ोश पिता ऊंकार दरोगा के नाम पर अभिलिखित चली आ रही थी गणेश के एकमात्र पुत्र रामचन्द्र
ा जिसकी भी मृत्यू हो चुकी है रामचन्द्र के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 5 है इस
कार साबिक आराजी संख्या 1029/2 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी
ख्या 1 से 5 हो उक्त रकबे पर वे खातेदार काश्तकार की हैसियत से वर्तमान में काबिज हो
योग-उपभोग करते चले आ रहे है। कालान्तर में तहसील माण्डल एवं करेड़ा का सेटलमेंट हुआ
न सेटलमेंट में साबिक आराजी संख्या 1029/1 व 1022 के नये नम्बर 2456 रकबा 06 बीघा 09
स्वा, 3846/2456 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा एवं 2474 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 03
बा 09 बीघा 07 बिस्वा कायम हुये जबकि साबिक रकबा उक्त आराजियात का 13 बीघा 01
स्वा था जिसका जरीब के अंतर के कारण नया रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा कायम किया जाना
हिये था किन्तु कुलिया रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा कायम किया गया इस प्रकार 01 बीघा 19
स्वा रकबा वादीगण की साबिक आराजियात के नये बनने वाले नम्बरों में कम दर्ज किया गया है

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़

स बाबत् वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 24 अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये यह वाद
व साबिक आराजी संख्या 1029/1 को गफलत एवं लापरवाही पूर्वक तरीके से राजस्व रेकार्ड में
29/2 कायम कर दिये जाने के विरूद्ध ही घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती का यह वाद प्रस्तुत कर रहे
इसी तरह साबिक आराजी संख्या 1029/2 के नये नम्बर आराजी संख्या 2136 रकबा 01 बीघा
बिस्वा एवं 2138 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा कुल कीता 02 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा कायम
या गया किन्तु राजस्व रेकार्ड मे आराजी संख्या 1029/2 गलत एवं अवैध तरीके से वादीगण एवं
तिवादी संख्या 6 से 24 के मौरूस के नाम पर 1029/1 के स्थान पर दर्ज कर दिये जाने के
ारण हॉल आराजी संख्या 2136 2138 प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम पर दर्ज न कर वादीगण
वं प्रतिवादी संख्या 6 से 24 के नाम पर दर्ज कर दी गयी तथा हॉल आराजी संख्या 2456 रकबा
6 बीघा 09 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 06 से 24 के नाम पर दर्ज न कर प्रतिवादी संख्या
से 5 के नाम पर गलत तरीके से अभिलिखित कर दी गयी है जबकि वादीगण एवं प्रतिवादी
ख्या 8 से 24 हॉल आराजी संख्या 2456 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा पर बहैसियत खातेदार कृषक
ाबिज चले आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हॉल आराजी संख्या 2136, 2138 पर काबिज
उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है इतना ही नहीं साबिक नक्शे एवं वर्तमान नक्शे का मिलान
रने पर भी उक्त राजस्व रेकार्ड में हुयी गलती स्पष्ट उजागर हो रही है। क्योंकि साबिक आराजी
ख्या1029/1 से लगी हुयी साबिक आराजी संख्या 1022 थी और 1022 के नये नम्बर 2474,
346/2456 व 2456 कायम हुये है जो हॉल आराजी संख्या 2456 से लगे हुये है इतना ही नहीं
दी संख्या 2 ने आराजी संख्या 2456 के दक्षिणी पश्चिमी और एक कमरा, बरामदा, टीन सेड़ एवं
नी के टैंक का निर्माण अपनी फसल एवं पालतु पशु रखने हेतु करा रखा है। इस प्रकार हॉल
राजी संख्या 2456 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 24 के नाम पर खातेदारी हक से
भिलिखित कराया जाना कानूनन आवश्यक हो गया है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 24
खाते में से हॉल आराजी संख्या 2136, 2138 को हटा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम पर
भिलिखित कराया जाना आवश्यक हो गया है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 24 तथा प्रतिवादी
ख्या 1 से 5 इसी अनुसार अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हॉल आराजी संख्या 2136, 2138 पर
ाबिज चले आ रहे है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 24 हॉल आराजी संख्या 2456 के
थ–साथ 3846/2456 एवं 2474 पर काबिज चले आ रहे है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5
राजस्व रेकार्ड में उक्त चली आ रही गफलत को दुरूस्त करने हेतु दिनांक 15/01/2016 को
हा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने ऐसा करने से इंकार कर दिया अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 से 5
अपने नाम पर अभिलिखित चली आ रही हॉल आराजी संख्या 2456 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा को
दीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 24 के नाम पर खातेदारी हक से अभिलिखित कराने से इंकार
र दिया इतना ही नहीं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हॉल आराजी संख्या 2456 रकबा 06 बीघा 09
स्वा के खातेदार काश्तकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 24 को होना भी नहीं मानते है इस
रण यह घोषणा की जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 24
ल आराजी संख्या 2456 रकबा 06 बीघा 09 के खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रेकार्ड से हॉल
राजी संख्या 2456 प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम से हटा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 24
पने नाम पर खातेदारी हक से अभिलिखित करा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराने के भी
धिकारी है। हॉल आराजी संख्या 2456 गलत एवं अवैध तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़

र लापरवाही पूर्वक तरीके से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 24 के स्थान पर अभिलिखित हो ाने का नाजायज फायदा उठा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 कभी भी उक्त वर्णित हॉल आराजी संख्या 456 को रहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित कर सकते है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को कोई क व अधिकार नहीं है प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का कोई कब्जा व दखल आराजी संख्या 2456 पर हीं है नहीं है न कभी रहा है बल्कि कब्जा व दखल वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 24 का ही अपने पूर्वजो के समय से ही निरतर शातिपूर्वक तरीके से हो चला आ रहा है वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को समझाने पर भी वे नहीं मान लड़ाई झगडे हेतु आमादा होते है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हॉल आराजी संख्या 2456 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा को रहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित नहीं करें करायें तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 24 द्वारा आराजी संख्या 2456 के निरंतर अपने पूर्वजों के समय से किये जा रहे उपयोग उपभोग में कोई किसी प्रकार की बेजा दखलदांजी हस्तक्षेप उत्पन्न नहीं करें करावें न वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 24 को हॉल आराजी संख्या 2456 से जबरन बेदखल ही करें करावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से कोई उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी व वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य मे अपना स्वयं का मौतबीरान व्यक्तियो के शपथपत्र भी पेश किये गये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ दस्तावेज पेश किये गये, जो प्रदर्शित किये गये व तहसीलदार, करेड़ा के मार्फत मौका रिपोर्ट तलब की गयी, जो शामिल पत्रावली की गयी।

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र डिक्री करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकार्ड मे गलत इन्द्राज हुआ है , जिसे दुरूस्त किया जाना उचित माना है। मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर ग्राम बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक त्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की जमाबंदी संवत 2073 से 2076 अंतिम सला आधार के खाता संख्या 317 मे खातेदार महेन्द्र सिंह, भोपाल सिंह , प्रेम सिंह पिता रामचन्द्र स्सा 3/5, कमला, कान्ता पुत्रीया रामचन्द्र हिस्सा 2/5 जाति दरोगा सा. बेमाली के नाम पर दर्ज ते आराजी नम्बर 2456 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा (1.6314 हैक्टयर) मे से रकबा 06 बीघा 07 स्वा (1.6061 हैक्टयर) भूमि वादीगण संख्या 01 से 3 व प्रतिवादी संख्या 6 से 24 व वर्तमान ता संख्या 415 मे दर्ज खातेदार कृष्णगोपाल , भूपेन्द्र सिंह, भानू प्रताप सिंह, रामगोपाल सिंह पिता ावत सिंह, प्रेम कंवर पत्नी भगवत सिंह हि. 1/6, भवानी सिंह पुत्र श्री रघुनाथ हिस्सा 1/6, न एस.बी.आई बैंक शाखा बेमाली, बद्री लाल बंशी सिंह, रधुनाथ सिंह, लाल सिंह पिता अर्जुन हि. /3, मंगल सिंह, मन सिंह पिता सरिया , मूली बाई पत्नी सरिया हिस्सा 1/3 जाति रावणा राजपूत . बेमाली के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे अंकन किया जावे व इसकी ऐवज मे ग्राम बेमाली पटवार का बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 415 मे दर्ज आराजी नम्बर 2136

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़

0.3415 हैक्टयर (01 बीघा 07 बिस्वा), आराजी नम्बर 2138 रकबा 0.5311 हेक्टयर कुल किता
कबा 0.8726 हैक्टयर (3 बीघा 09 बिस्वा) भूमि महेन्द्र सिंह , भोपाल सिंह , प्रेम सिंह पिता
द्र हि. 3/5 , कमला , कान्ता पुत्रीया रामचन्द्र हि. 2/5 जाति दरोगा सा. बेमाली के नाम पर
ारी हक अधिकार से दर्ज करायी जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को
जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिकी जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना
वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़